

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक डीसी/डी-2/एमटीपी/2012/465

दिनांक: 19/12/2012


समस्त लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी
एवं सहायक औषधि नियंत्रक, राज0
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :-Mifepristone/Misoprostol Tablets के संभावित दुरुपयोग
को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु।


संदर्भ :- संगठन का पत्र क्रमांक 483 दिनांक 15.10.12 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषय में आपको विषयान्तर्गत औषधियों को गर्भपात हेतु
दुरुपयोग होने की संभावना के मद्देनजर इनकी बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने एवं
दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये
थे, जिसकी पालना रिपोर्ट अभी तक संगठन को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आप द्वारा की गई कार्यवाही के क्रम में पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।


औषधि नियंत्रक
राज0, जयपुर

Incharge, Server Room, I.T. Section, HQ.
को भेजकर लेख है कि उक्त
Circular को विभागीय वेबसाई
पर Upload करने का कबट करें।


19/12/12
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर